Cancellation of Tender for Appointment of Auditor for conducting Audit of Risk Management Systems and Processes of Investment Department

It is hereby informed that the Tender for Appointment of Auditor for conducting Audit of Risk Management Systems and Processes of Investment Department, which was uploaded at https://orientalinsurance.org.in/web/guest/tenders and https://www.pdicai.org/Opportunities.aspx on 09.03.2020, as decided by the Competent Authority, stands cancelled with immediate effect, due to sudden lockdown w.e.f. 25.03.2020, as the process could not be completed as per stipulated schedule.

Fresh notice will be issued shortly. Interested parties are requested to keep visiting the above web- link.

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.,
Head Office, A-25/27, Asaf Ali Road,
New Delhi – 110 002
CIN: U66010DL1947GOI007158

Tender Notice for selection of Audit Firm for conducting Risk Management Systems and Process Audit of Investment Department

We are a leading Public Sector General Insurance Company in India with Registered and Head Office at New Delhi. We propose to select a C.A. Audit Firm of repute for conducting Risk Management Systems and Process Audit of Investment Department of the Company. All details may be obtained from our website www.orientalinsurance.org.in

Sd/-

Chief Manager

Prithvi, Agni,Jal, Akash…..sabki suraksha hamare pass…..,Oriental Insurance

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE
A-25/27, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI – 110002

Letter of Interest in respect of Selection of Audit Firm for Conducting Risk Management Systems and Process Audit of Investment Department

Our Company is a leading Public Sector General Insurance Company in India and we propose to select a Chartered Accountant Audit Firm of repute for conducting Risk Management Systems and Process Audit of Investment Department of the Company. The Risk Management Systems and Process Audit of Investment Department is required to be conducted as per the instructions and directives issued from time to time by the IRDAI and/or RBI/SEBI or any other statutory authority directives applicable for General Insurance Companies including Statutory Tax Compliance Status etc. in all respect.

The eligibility criteria decided by the Competent Authority for selection of an Audit Firm are as under:

1. The Chartered Accountant firm shall be a firm registered with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
2. The Audit firm should have experience for at least 4 years in conducting reviews of Risk Management System and Process of either Banks or Mutual Funds or Insurance Companies or have, on behalf of IRDAI conducted investment inspection of insurance companies.
3. On the date of appointment as an auditor for certifying Investment Risk Management Systems and Process, the auditor must not hold more than two audits of Internal, Concurrent and Risk Management Systems Audit, all taken together. Hence, the Audit firm can at the maximum hold not more than three audits (i.e. Investment Risk Management Systems and Process Audit, Internal Audit, Concurrent Audit – all taken together), apart from Statutory audit at any point of time. For this purpose, at the time of appointment, the firm shall submit a declaration to this effect.
4. The audit firm should not have been prohibited/debarred by any regulating agency including IRDAI, RBI, SEBI, ICAI etc.
5. The Risk Management Auditors appointed for certifying Investment Risk Management Systems and Process, should not have conducted the following assignments for our company during a period of two years immediately preceding the appointment as Risk Management Auditor:

    i) Statutory Audit
    ii) Any Internal Audit
    iii) Any Concurrent Audit

iv) Any consulting assignment whether or not related to audit functions.

The selection of the Audit Firm shall be on the basis of above criteria and it is, therefore, requested that a letter of interest in the enclosed format may be **sent to Ms. Bharati, Chief Manager, Investment (Accounts) Department, The Oriental Insurance Company Ltd., Ground Floor, A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi – 110 002 by post or by hand latest by 23/03/2020 by 5 p.m.**

After Scrutiny of Proforma submitted by Audit Firms, financial officers will be called from the Firms who fulfill the above eligibility criteria. For any query contact may be made with Ms. Bharati, Chief Manager whose phone Number is 011-43659537 or on email i.e. bharati@orientalinsurance.co.in

*No TA/DA, conveyance or any other out of pocket expenses other than Audit fees shall be paid.
*The final Audit Report should be submitted by 26th June, 2020.

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE,
A-25/27, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI 110002

Annexure-"B"

LETTER OF INTEREST BY AUDIT FIRM FOR CONDUCTING RISK MANAGEMENT SYSTEMS AND PROCESS AUDIT OF INVESTMENT DEPARTMENT

Sl. No.	**Particulars**	
1	Name and Address of the Firm	
2	Telephone No. & E-mail address	
3	Names of Partners, Membership Number and their profile, FRN	Attach separate sheet
4.	No. of years of standing of Audit Firm	
5.	**Confirmation of eligibility criteria:** 1. Whether the firm is registered with the Institute of Chartered Accountants of India.	Yes/No
	2. Whether the Firm has experience, for at least four years, in conducting review of Risk Management Systems and Process of either Banks or Mutual Funds or Insurance Companies or have on behalf of IRDAI conducted investment inspection of insurance companies.	If yes, the details of the Banks, Mutual Funds or Insurance Companies or any other Company audited with the period for which the audit was conducted shall be provided with documentary evidence.
	3. On the date of appointment as an Auditor for certifying Investment Risk Management System and Process, **the auditor must not hold more than two audits of internal, Concurrent and Risk Management Systems Audit, all taken together**. Hence, the Audit firm, can at the maximum hold not more than three Audits (i.e. Investment Risk Management Systems and Process Audit, Internal Audit, Concurrent Audit – all taken together), apart from Statutory Audits at any point of time. For this purpose, at the time of appointment, the firm shall submit a declaration to this effect.	Yes/No

	4. Whether the Audit Firm has been prohibited / debarred by any regulating agency including IRDA, RBI, SEBI, ICAI etc.	Yes/No
	5. Whether the Audit Firm appointed for certifying Investment Risk Management System and Process has conducted following assignments for our company during the period for two years immediately preceding his appointment as Risk Management Auditor (2018-19 & 2019-20). • Statutory Audit • Any Internal Audit • Any Concurrent Audit • Any consulting assignment, whether or not related to audit Functions.	Yes/No

Place:

Date: **Name of the Partner:**

Signature:
Seal of the Audit Firm:

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय,ए-25/27, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली – 110 002
सिन नं. U66010DL1947GOI007158

निवेश विभाग के जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और लेखा परीक्षण की प्रक्रिया कोसंचालित करने हेतु लेखा परीक्षा फर्म के चयन हेतु निविदा सूचना

हम भारत में पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी साधारण बीमा कंपनी हैं जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा प्रस्ताव ऐसी ख्याति प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के चयन करने का है, जो कंपनी के निवेश विभाग के जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को संचालित कर सके। सभी ब्यौरे हमारी वेबसाईट www.orientalinsurance.org.inसे प्राप्त किए जा सकते हैं।

Sd/-
मुख्य प्रबंधक

पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश – सबकी सुरक्षा हमारे पास – ओरिएण्टल इंश्योरेंस

परिशिष्ट "क"

निवेश विभाग की जोखिम प्रबंधन प्रणालियां और प्रक्रियाओं को संचालित करने हेतु लेखा परीक्षा फर्म के चयन के संबंध में हितों संबंधी पत्र

हमारी कंपनी भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी है तथा हम कंपनी के निवेश विभाग की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को संचालित करने हेतु एक प्रख्यात चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑडिट फर्म काचयन करने का प्रस्ताव रखते हैं। निवेश विभाग के जोखिम प्रबंधन प्रणाली और लेखा परीक्षा प्रक्रिया को सभी प्रकार से साधारण बीमा कंपनियों के लिए लागू किए गए सांविधिक कर अनुपालन स्थिति इत्यादि सहित आईआरडीएआई और/या आरबीआई/सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण निर्देशों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों व निर्देशों के अनुसार संचालित किए जाने की आवश्यकता है।

लेखा परीक्षा फर्म के चयन के लिए समय प्राधिकारी द्वारा तय की गई पात्रता मापदंड निम्नानुसार है:-

1. चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के साथ पंजीकृत एक फर्म होगी।
2. आईआरडीएआई की ओर से बीमा कंपनियों के निवेश परीक्षण को संचालित करने बैंकों या म्युचुअल फंडों या बीमा कंपनियों के जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा को संचालित करने में, लेखा परीक्षा फर्म के पास कम-से-कम 4 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
3. निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति की तिथि पर लेखा परीक्षक को आंतरिक समवर्ती और जोखिम प्रबंधन प्रणाली लेखा परीक्षा एक साथ दो लेखा परीक्षकों से अधिक नहीं रखने चाहिए। इसलिए लेखा परीक्षण किसी भी समय पर सांविधिक लेखा परीक्षा के अलावा अधिकतम तीन लेखा परीक्षकों (अर्थात निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली तथा प्रक्रिया लेखा परीक्षण आंतरिक लेखा परीक्षा समवर्ती लेखा परीक्षण सभी को एक साथ लिया गया) तीन से अधिक नहीं रख सकते हैं। इस प्रायोजन के लिए नियुक्ति के समय पर फर्म इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करेगी।
4. लेखा परीक्षा फर्म को आईआरडीएआई, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई इत्यादि सहित किसी भी विनियामक एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित / निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए।
5. निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए नियुक्त किए गए प्रबंधन लेखा परीक्षकों को जोखिम प्रबंधन लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति से तुरंत पहले दो वर्ष की अवधि के दौरान हमारी कंपनी के लिए निम्नलिखित कार्य संपन्न नहीं हुए होने चाहिएं:-
   I. सांविधिक लेखा परीक्षा
   II. कोई भी आंतरिक लेखा परीक्षा
   III. कोई भी समवर्ती लेखा परीक्षा
   IV. कोई भी परामर्श कार्य भले ही वह लेखा परीक्षा कार्यों से संबंधित है या नहीं।

लेखा परीक्षा फर्म का चयन उपरोक्त मापदंडों के आधार पर होगा और इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि संलग्न प्रारूप में हितों का एक पत्र **सुश्री भारती, मुख्य प्रबंधक, निवेश (लेखा) विभाग, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली – 110002 को दिनांक 23.03.2020 तक को सायं 5 बजे तक डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से भेजा जा सकता है।**

लेखा परीक्षा फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा की जांच के बाद, वित्तीय अधिकारियों को उन फर्मों से बुलाया जाएगा जो उपरोक्त पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। किसी भी शिकायत हेतु सुश्री भारती, मुख्य प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है जिनका फोन नं. 011-43659537 है या ई-मेल पर bharati@orientalinsurance.co.inसंपर्क करें।

* लेखा परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के टीए/डीए, वाहन भत्ते या जेब से होने वाले खर्च का भुगतान नहीं किया जाएगा।

* अंतिम आडिट रिपोर्ट 26.06.2020 तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
प्रधान कार्यालय ,
ए-25/27, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली-110002

परिशिष्ट -"ख"

निवेश विभाग की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं को संचालित करने हेतु लेखा-परीक्षा फर्म द्वारा हितों संबंधी पत्र।

क्रं. सं.	**विवरण**	
1	फर्म का नाम व पता	
2	दूरभाषा नं. तथा ई-मेल पता	
3	भागीदारों के नाम, सदस्यता संख्या तथा उनका प्राफाईल, एफआरएन	अलग शीट संलग्न करें
4.	लेखा-परीक्षा फर्म की स्थापना के वर्ष	
5.	**पात्रता मानदंड़ों की पुष्टि:** 1. क्या लेखा-परीक्षा फर्म भारत के चार्टड एकाउंटेंट संस्थान के साथ पंजीकृत है।	हां/नहीं
	2. क्या फर्म के पास बैंकों या म्युचुअल फंड या बीमा कंपनियों के जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षाओं को संचालित करने या आईआरडीएआई की ओर से बीमा कंपनियों के निवेश का निरीक्षण करने संबंधी कार्य करने का कम-से-कम चार वर्षों का अनुभव है ।	यदि हां, तो बैंकों, म्युचुअल फंड या बीमा कंपनियों या किसी अन्य कंपनी का विवरण जिस अवधि के लिए ऑडिट किया गया था, उसके दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं ।
	3. निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं को करने के लिए एक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति की तारीख पर, लेखा-परीक्षक के पास दो से अधिक आंतरिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती और जोखिम प्रबंधन प्रणाली लेखा-परीक्षा विद्यमान नहीं होने चाहिए । अत:, लेखा-परीक्षा फर्म के पास किसी भी समय सांविधिक लेखा-परीक्षा के अतिरिक्त तीन से अधिक लेखा-परीक्षण(अर्थात निवेश जोखिम प्रबधन प्रणाली और प्रक्रिया लेखा-परीक्षा, आंतरिक लेखा-परीक्षा,समवर्ती लेखा-परीक्षा -सभी को एक साथ लिया जाता है) सम्पन्न नहीं कर सकते । इस आशय के लिए नियुक्ति के समय	हां/नहीं

	फर्म एक घोषणा प्रस्तुत करेगी।	
	4. क्या लेखा-परीक्षा फर्म को किसी विनियमन एजेंसी,जिनमें आईआरडीए, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई आदि सम्मिलित हैं, द्‌वारा प्रतिबंधित/निष्काषित किया गया है ।	हां/नहीं
	5 क्या निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं को प्रमाणित करने के लिए नियुक्त लेखा-परीक्षा फर्म ने जोखिम प्रबंधन परीक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्व दो वर्षों (2018-19 तथा 2019-20) के दौरान हमारी कंपनी द्‌वारा सौंपे गए निम्नलिखित कार्यों को किया है । • सांविधिक लेखा-परीक्षा • कोई आंतरिक लेखा-परीक्षा • कोई समवर्ती लेखा-परीक्षा • कोई परामर्श कार्य, लेखा-परीक्षा कार्य से संबंधित है या नहीं।	हां/नहीं

स्थान :

दिनांक :

साझेदार का नाम :

हस्ताक्षर:

लेखा-परीक्षा फर्म की मुहर :